

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

चांदी

बनाम

झाणदी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 115/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती चांदी पत्नी भोजा जी मीणा, मंगू-रामकान्हा उर्फ काता पिता श्री भोजा जी मीणा निवासी फुलसिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम सुरतसिंह जी का खेडा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 122/131 (पण्ड.केलजर) रकबा 2.1600</p> <p>कुल कीता 1 कुल रकबा 2.1600 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम सुरतसिंह जी का खेडा (पण्ड.केलजर) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 122/131 रकबा 2.1600</p> <p>कुल कीता 1.5000 1 रकबा 2.1600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500-00 रुपये अक्षरे एक हजार पचास रुपए प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़</p> 